सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार-। आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2025 / 106 दर्ज तिथि:-06.08.2025

1. ओमप्रकाश पुत्र सागरमल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी खांसोली तहसील व जिला चूरू

.................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
2. पुष्पा देवी पुत्री सागरमल जाति ब्राहमण निवासी खांसोली तहसील व जिला चूरू

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री रिषिराज सिंह शेखावत
प्रतिवादी:- पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88, 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:- 04.02.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा- 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते घोषणात्मक किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख. नं. 321 रकबा 0.8979 हैक्ट. वा खसरा संख्या 338 रकबा 0.8220 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 1.7199 हैक्ट. रोही खांसोली तहसील व जिला चूरू में स्थित चली आ रही है जिसमें खातेदारी मुझ वादी की माता श्रीमती विधा देवी पत्नी सागरमल जाति ब्राहमण निवासी खांसोली के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकित वा दर्ज चली आ रही है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति दावा हाजा के साथ संलग्न है।
2. उपरोक्त वादी का परिवार भूमिहीन कृषक परिवार था जिसके कारण दिनांक 11.01.1958 को राजस्थान भू दान यज्ञ बोर्ड द्वारा उपरोक्त [illegible] की खातेदारी भू दान यज्ञ बोर्ड के नियम 24 के अन्तर्गत वादी की माता विधा देवी पत्नी सागरमल जाति ब्राहमण निवासी खांसोली तहसील चूरू के नाम से [illegible] खातेदारी भू दान यज्ञ बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी की [illegible] प्रति दावा हाजा के साथ [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:50 IST
Reason: SelfAttested

3. ग्राम खांसोली तहसील चूरू जागीर खालसा का ग्राम रहा है जिसकी खातेदारी कृषि भूमियों का नाप पैमाईश संवत 2025 से पूर्व कच्चे बीघा में अंकित था। वादी की माता की वागदत कृषि भूमि पुराना ख.नं. 58 के हाल पैमाईश संवत 2025 में नये ख. नं. 321, 338 रोही खांसोली कायम हुए है। वा पैमाईश के पश्चात उपरोक्त भूमि का पक्के बीघा में माप 6 बीघा 16 बिश्वा दर्ज अंकित कर दिया गया था तब अब माप हैक्टर में परिवर्तित होने पर उपरोक्त भूमि का माप 1.7199 हैक्ट. दर्ज चला आ रहा है।

4. उपरोक्त कृषि भूमि भूमि की खातेदारी राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड अधिनियम के तहत प्राप्त होने के उपरांत अपने जीवनकाल में लगातार वादी की माता विधा देवी पत्नी सागरमल शर्मा जाति ब्राहमण उपरोक्त भूमि को खातेदार रही वा उपरोक्त भूमि को अपने जीवनकाल में काश्त करती वा करवाती चली आ रही थी तथा हर प्रकार व्यवस्था उन्होनें इस भूमि के संबंध में अपने जीवनकाल में की थी।

5. अब दिनांक 26.03.2019 को वादी की माता विधा देवी वेबा सागरमल जाति ब्राहमण निवासी खांसोली का देहांत हो चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति दावा हाजा के साथ संलग्न है। वादी की माता के देहांत होने पर उपरोक्त भूमि में वादी ओमप्रकाश वा पुष्पादेवी उपरोक्त विधा देवी के जायज वा कानूनी वारिसान है इसके अलावा कोई अन्य वारिसान विधा के नहीं है ना ही कभी रहा है।

6. प्रतिवादी सं. 2 पुष्पा देवी पुत्री विधा देवी की शादी की जा चुकी है तथा अपने परिवार सहित लक्ष्मणगढ़ निवास करती है उक्त पुष्पादेवी ने अपने पैतृक सम्पति में से आने वाली सम्पूर्ण भूमि पहले ही शादी विवाह भात छुछक आदि क्रिया कलापों में दिया जा चुका है वा उसने पैतृक सम्पति में आना वाला अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने भाई ओमप्रकाश पुत्र सागरमल शर्मा के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा उक्त पुष्पादेवी इस भूमि में कोई हिस्सा शेष नहीं रहा है ना ही पुष्पादेवी इस भूमि में कोई हिस्सा लेना चाहती है इसलिए वादी की माता के देहान्त होने से अब केवल वादी का ही सम्पूर्ण हिस्सा उपरोक्त भूमि में बनता है जिसकी घोषणा करवाने के लिए यह दावा हाजा अदालतवाला में प्रस्तुत किया जा रहा है।

7. प्रतिवादी सं. 2 गौण पक्षकार है वा उपरोक्त कृषि भूमि में उपरोक्त पक्षकारान ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने भाई वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है जिससे प्रतिवादी सं. 2 इस भूमि में कोई हक अधिकार वा हिस्सा प्राप्त करना नहीं चाहती है परन्तु विधा देवी की वारिसान होने से बतौर फॉर्मल पक्षकार बनाया गया है।

8. वादी द्वारा अपनी माता की मृत्यु होने पर निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार चूरू के समक्ष विरासतन इंतकाल दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसके साथ वादी द्वारा शपथपत्र निर्धारित प्रारूप से प्रस्तुत भी किया गया जिसे जांच हेतु पटवार हल्का खांसोली को भेजा गया जिस पर पटवार हल्का खांसोली द्वारा दिनांक 05.03.2025 को तहसीलदार चूरू के आदेश क्रमांक भू.अ./2561 दिनांक 09.12.2024 की पालना में दिनांक 05.03.2025 को मौके पर जाकर वारिसान की जांच की गई वा मौके पर उपस्थित मोजिज व्यक्तियों से जांच की गई जिस पर पाया कि वादी ओमप्रकाश वा पुष्पादेवी प्रतिवादी सं. 2 के अलावा विधा देवी के कोई वारिसान नहीं है। जिस पर उपरोक्त जांच होने के पश्चात उपरोक्त पत्र पालना हेतु तहसीलदार चूरू के राजस्व शाखा में भिजवायी गई तो तहसील के राजस्व अधिकारियों के कहते हुए प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिया कि उपरोक्त के लिए सक्षम न्यायालय में दावा दायर करके ही चाराजोही करवानी होगी [illegible] ही अपनी रिकॉर्ड दुरुस्त करवाया जा सकता है इसलिए वादी द्वारा राजस्व रि[illegible] खातेदार विधा देवी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:50 IST
Reason: SelfAttested

मृत्यु होने से वा वादी उनके जायज कानूनी कायम मुकाम होने से उपरोक्त आश्य की घोषणा हेतु यह दावा अदालतवाला में प्रस्तुत किया जा रहा है।

9. वादी ने प्रतिवादीगण को कहा व कहलवाया कि वादी को वादगत कृषि भूमि का विधा देवी का जायज कानूनी वासि होने से खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवा देवें लिहाजा यही तारीख विनाय मुखास्मत दावा है तथा विनाय दावा वादी को भूमि मजकूर का नियमानुसार विधा देवी का कानूनी वा जायज कानूनी कायम मुकाम जायज वारिस होने से वादाधार प्राप्त है।

10. दावा डिक्री होने की सूरत में राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां तहसीलदार के माध्यम से होनी है इसलिए दावा में राजस्थान सरकार को तकमीलन पक्षकार प्रतिवादी सं. 1 बनाया गया है मगर दावा में राज्य सरकार के हितों पर प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए दावा पेश करने से पूर्व धारा 80 जा. दी. के नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

11. निवास स्थान फैरीकेन वा वादगत कृषि भूमि अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस रू 2/— पर हर प्रकार से अंदर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा हाजा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण नीचे लिखे अनुसार डिक्री फरमाया जावे :—

(क) घोषित किया जावे कि कृषि भूमि ख. नं. 321, 328 कुल रकबा 1.7199 हैक्ट. रोही खांसोली तहसील व जिला चूरू वादी के खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है तथा इसी के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे।

12. वादीगण की ओर से पेश दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाबदावा मय इकबालदावा पेश किया गया है जिसमें दावा की मद संख्या 1 से 11 अर्जीदावा में अंकित तथ्यों बाबत् आपत्ति नहीं है स्वीकार किया जाता है। अंतिम मद मय अनुतोष क बाबत मुझ प्रतिवादी को आपत्ति नहीं है उपरोक्त प्रकार से दावा वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई उजर आपत्ति व एतराज नहीं है। दावा डिक्री होने से सहमति प्रदान की जाती है। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार चूरू भूमिधारी हैं। वादी अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन किये जाने पर साक्ष्यवादी बन्द की गई। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली सीधे बहस में नियत की गई।

13. अधिवक्ता वादी बहस के दौरान दावा में अंकित तथ्यों को दौहराते दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर घोषित किया जावे कि कृषि भूमि ख. नं. 321, 328 कुल रकबा 1.7199 हैक्ट. रोही खांसोली तहसील व जिला चूरू वादी के खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है तथा इसी के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराया जावे। प्रतिवादिनी सं. 2 ने जवाबदावा मय इकबालदावा में दावा वादीगण मुताबिक अनुतोष क, ख, ग के स्वीकार कर डिक्री किए जाने में कोई आपत्ति एतराज नहीं है।

14. वादकर्ता द्वारा प्रस्तुत वाद धा[illegible]कारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत घोषणात्मक राहत हेतु प्रस्तुत किया [illegible]द का मूल आधार यह है कि खातेदार विधा देवी के देहाव[illegible] घोषित कर राजस्व अभिलेख दुरुस्ती चाहता है। अ[illegible] वादगत भूमि विधा देवी के नाम खातेदारी दर्ज थी। वादी एवं प्रतिवादी स. 2 ही [illegible]य विधा देवी के वैध वारिसान हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वाद का समर्थन करते हुए इकबालदावा प्रस्तुत किया गया है। विरासत दर्ज करने हेतु वादी द्वारा तहसीलदार, चूरू के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे यह कहते हुए अस्वीकार किया गया कि सक्षम न्यायालय से घोषणा प्राप्त की जावे। यहाँ विचारणीय तथ्य यह है कि क्या मात्र विरासत दर्ज कराने के उद्देश्य से, जबकि वारिसान निर्विवाद हैं तथा किसी प्रकार का शीर्षक विवाद अस्तित्व में नहीं है, तब धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत घोषणात्मक वाद विचारणीय है? धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अनुसार घोषणा का वाद तभी विचारणीय है जब खातेदारी अधिकार के संबंध में विवाद हो अथवा वादी के अधिकार का प्रतिवाद किया गया हो। वर्तमान प्रकरण में न तो किसी प्रकार का वास्तविक विवाद प्रस्तुत है, न ही वादी के अधिकार का प्रतिवाद किया गया है, न ही प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अधिकार का दावा किया गया है तथा वाद मात्र राजस्व अभिलेखों में नामांतरण/विरासत प्रविष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया है। विरासत दर्ज करना एक प्रशासनिक कार्यवाही है, जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 संबंधित नियमों के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा की जाती है। जब वारिसान निर्विवाद हों एवं किसी प्रकार का वास्तविक विवाद अस्तित्व में न हो, तब राजस्व न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करना विधि सम्मत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहां केवल नामांतरण/विरासत प्रविष्टि का प्रश्न हो और अधिकार विवादित न हो, वहाँ घोषणात्मक वाद विचारणीय नहीं है। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वर्तमान वाद धारा 88 के अंतर्गत विचारणीय नहीं है। अतः

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 88 एवं 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विचारणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है। वादी नियमानुसार तहसीलदार, चूरू के समक्ष संबंधित नियमों के अंतर्गत विरासत दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करे।

डिक्री तदनुसार तैयार की जावे।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.02.2026 को लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:50 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025/106 दर्ज तिथिः–06.08.2025

1. ओमप्रकाश पुत्र सागरमल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी खांसोली तहसील व जिला चूरू

..................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
2. पुष्पा देवी पुत्री सागरमल जाति ब्राहमण निवासी खांसोली तहसील व जिला चूरू

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री रिषिराज सिंह शेखावत
प्रतिवादीः– पैरोकार राज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 88 एवं 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विचारणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है। वादी नियमानुसार तहसीलदार, चूरू के समक्ष संबंधित नियमों के अंतर्गत विरासत दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करे।

यह डिक्री आज दिनांक 04.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:23:50 IST
Reason: SelfAttested